न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 20 / 2026 दायर दिनांकः—09.03.2026 रजि0 न0 2026 / 39

अपीलार्थीः—

श्री सरत चंद जैन, नि. 13, पालम मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली.110057

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 24.03.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 02.01.2026 के परिपेक्ष्य में मिली सूचना से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 17.03.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ० / प्रथम अपील / 2026 / 308 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 02.01.2026 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293087105589411 दिनांकः 05.01.2026 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 6574425790 दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत—पत्र के माध्यम से सूचना आवेदन खारिज कर निस्तारित किया जा कर सूचित किया जा चुका है। प्रति संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सूचना / कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में ऑनलाइन पत्र सं. 6574425790 दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ० / प्रथम अपील / 2026 / 308 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है, जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 24.03.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)